प्रेस नोट 24.12.2020

प्रदेश पुलिस की पहल

बजुर्गों की जिंदगी में उजाला ला रही है 'सवेरा' योजना, 112—यूपी पर कॉल कर बुजुर्ग कराएँ अपना पंजीकरण

जनपद मऊ में 1910 बुजुर्ग नागरिकों ने कराया पंजीकरण

उत्तर प्रदेश पुलिस की योजना 'सवेरा' लाखों बजुर्गों के जीवन में उजाला भरने का कार्य कर रही है. योजना के तहत कोई भी बुजुर्ग 112—यूपी पर कॉल कर के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. पंजीकरण के बाद यदि किसी बुजुर्ग को सुरक्षा सम्बन्धी मदद की जरुरत होती है तो सम्बंधित थाने की पुलिस या 112 की पीआरवी मौके पर पहुँच कर सहायता पहुँचाने का कार्य करती है. जनपद मऊ में अब तक 1910 बुजुर्ग सवेरा में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं. जिला व थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन किया गया है।

इस तरह होता है पंजीकरण

112 पर सीधे कॉल करके बुजुर्ग अपना प्राथमिक पंजीकरण करवा सकते हैं. प्राथमिक पंजीकरण के बाद स्थानीय थाने या चौकी से बीट के पुलिस कर्मी बुजुर्ग के घर जा कर उनका गहन पंजीकरण करते हैं. गहन पंजीकरण में बुजुर्ग से सम्बंधित जानकारियां (जो बुजुर्ग देना चाहें) दर्ज की जाती हैं।

योजना का उद्देश्य

क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ नियमित मेल—मिलाप हो. उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं को शुरूआती स्तर पर ही हल किया जा सके. जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भाव बना रहे।

बुजुर्ग इन मामलों में ले सकते हैं मदद

पंजीकृत अकेले रहने वाले बुजुर्ग की सुरक्षा और उन्हे त्वरित सहायता पहुंचाना योजना का मुख्य उद्देश्य है. बुजुर्ग किसी परिजन या आस—पास रहने वाले लोगों द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर और अन्य किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की मदद ले सकते हैं।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 24.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा हरपुर के पास से मु0अ0सं0 868/20 धारा 354ग,292 भादवि0 67ए,97 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त आकशदीप पुत्र रामविलास निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1013/20 धारा 354,504 भादवि0 व 67 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सोनू पटेल पुत्र अक्ष्यवर निवासी बोझी, मु0अ0सं0 1014/20 धारा 323,504,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र नीबुलाल निवासी टेसुपार थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते तीन गिरफ्तार कब्जे से फण के 02 हजार रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद—

दिनांक 23.12.2020 को थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बडहजपुर कुटिया के पास से जुआ खेलते ओमप्रकाश, आनन्द, प्रदीप यादव निवासीगण जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से फण के 02 हजार रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 825/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार–

दिनांक 23.12.2020 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जहनियापुर मोड़ के पास से अबुतलहा पुत्र शमसाद निवासी नयी बस्ती पारा थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 654/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 20 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 24.12.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा राधेश्याम पाण्डेय, विकाश पाण्डेय निवासीगण सोहबत बगदासी थाना चिरैयाकोट, थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा लालबिहारी, रामअशीष, विजयबहादुर, रामचरण निवासीगण कोल्हण थाना दक्षिणटोला, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा नर्मदेश्वर निवासी जजौली थाना मधुबन, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा सजय यादव निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर, कैलाश निवासी रानीपुर, धमेन्द्र कुमार निवासी कोपागंज, ओमप्रकाश निवासी केशवपुर थाना मधुबन, राजमंगल निवासी बनीयापार थाना घोसी, मूकेश निवासी जयसिंहपुर थाना सरायलखंसी, रमन पाण्डेय निवासी चन्द्रभानपुरा थाना कोतवाली, गौरव राय निवासी कसारा थाना कोपागंज, विष्णू प्रकाश निवासी हरिकेशपुरा थाना कोतवाली, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा श्रीप्रकाश निवासी कसारी थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा व्रजकिसोर निवासी लुदुही, सूरज भारती निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।